कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004
--:: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक: 30/04/2024

क्रमांक: 252/ आउशि/ संबध्दता/ 2024: सत्र 2023-24के लिये पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता जारी किये जाने हेतु मार्गदर्शिका में यह प्रावधान किया गया है कि पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में यूजी/पीजी संकाय के पाठ्यक्रमों की प्रथम तीन वर्ष/दो वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने के उपरान्त संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता बनाए रखने हेतु प्रतिवर्ष राशि रूपये 1000/- (एक हजार) प्रति विषय विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही जमा करना होगा। प्रवेश पोर्टल पर पाठ्यक्रमों का सत्यापन निरन्तरता शुल्क जमा करने की पुष्टि उपरान्त ही किया जावे। उक्त निरन्तरता शुल्क समय पर जमा न करने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति/अनापति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना प्रस्तावित होगा।

2. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा।
3. सत्र 2023-24के लिए निरंतरता हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	समिति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम एवं पता	निरंतरता के मान्य विषय	टीप
01	Jaiprakash Shiksha Samiti	**BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL**	INS3165 Swami Vivekanand Degree College, Sironj, Vidisha	B. A - Geography, Political Science, Sociology, B. COM - Commerce, Computer, B. SC. - Botany, Chemistry, Zoology	सत्र 2023-24 में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु निर्धारित तिथि 30/09/2022 तक आवेदन प्रस्तुत न करने पर 25000/- अर्थदण्डक अधिरोपित करते हुए, 15 दिवस में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अर्थदण्ड की राशि जमा करने की शर्त पर पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है	

4. विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों को उनके द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/संकायों का सत्र 2023-24के लिए निर्धारित अवधि में निरन्तरता शुल्क जमा करने के फलस्वरूप पूर्व से संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों जिनमें अंतिम वर्ष/उत्तरार्द्ध कक्षाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी हो चुका है, की सत्र 2023-24की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
5. संबंधित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्रों के लिये सम्बद्धता/निरंतरता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस होगी। अतः सम्बद्धता/निरंतरता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में समयसीमा में प्रस्तुत किया जाये।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।
7. किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
8. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे |

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

<u>"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"</u>

पृ. क्र. 253/ आउशि/ संबध्दता/ 2024 **भोपाल, दिनांक : 30/04/2024**

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, **मध्यप्रदेश**, भोपाल (म.प्र.)।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)।
5. संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय Bhopal (म.प्र.)।
6. संबंधित कुलसचिव, Barkatullah University, Bhopal (म.प्र.)।
7. प्राचार्य, **संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय**, (म.प्र.)।
8. संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संबंधित महाविद्यालयों की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु|

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.